



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4159]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 27, 2019/पौष 6, 1941

No. 4159]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 27, 2019/PAUSHA 6, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2019

का.आ. 4645(अ).—जबकि केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 381 (अ), दिनांकित 24 जनवरी, 2019 के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-111 (नया रारा सं. 130) के चैनेज कि.मी. 82.500 से चैनेज कि.मी. 163.400 (काटघोरा से शिवनगर खंड) तक के खंड को छत्तीसगढ़ राज्य पीडब्ल्यूडी को सुपुर्द कर दिया है।

अतः अब, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जो इसके आगे “नियम” के रूप में उल्लिखित है) के नियम 3 के साथ पठित, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-111 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 130) के डिजाइन कि.मी. 82.500 से कि.मी. 163.400 (चैनेज किमी 99.378 से कि.मी. 99.482 तक पुल छोड़कर) तक काटघोरा से शिवनगर खंड तक, पैकेज-II के प्रयोग के लिए निम्नलिखित तालिका 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर 150 कि.मी. निवल सड़क लंबाई (चार लेन खंड के उपयोग हेतु) के लिए आधार दर 100% और 78.281 किमी (पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के उपयोग हेतु) निवल सड़क खंड की लंबाई के लिए आधार दर 60% तथा 4.15 किमी (0.415 किमी लंबाई वाले) समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक की लंबाई) के लिए आधार दर के 60% की दर से तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट दर पर यांत्रिक वाहन से फीस उदगृहीत करती है तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उसके अधिकारियों अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से उक्त फीस के संग्रहण के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

तालिका-1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी आधार फीस दर (रु. में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहु धुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छह: धुरी)	3.45
विशाल आकार के वाहन (सात या अधिक धुरी)	4.20

1. इसके अंतर्गत उद्गृहीत और संगृहीत की जाने वाली फीस ऐसे पथकर प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट निवल सड़क लंबाई हेतु पथकर प्लाजा पर देय और संदेय होगी, अर्थात्:-

तालिका-2

फीस प्लाजा (डिजाइन चैनेज) की अवस्थिति	लंबाई (किमी में) जिसके लिए फीस संदेय है	दर, जिस पर फीस संदेय है
छत्तीसगढ़ राज्य के, कोरबा जिला में छोटीया गांव रारा-111 (नया रारा-130) के डिजाइन किमी 117.150 पर	78.281 किमी [अवसंरचना की लंबाई (>60 मी.) को छोड़कर]	ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दर का 60%
	1.50 किमी	ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दर का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित फीस भी देय और संदेय होगी:-

तालिका-3

फीस प्लाजा (डिजाइन चैनेज) की अवस्थिति	समतुल्य सड़क लंबाई में परिवर्तित किए जाने के लिए अवसंरचनाओं* की लंबाई (किमी में)	समतुल्य सड़क लंबाई (किमी में)	दर, जिस पर फीस संदेय है
कोरबा जिला में गांव छोटीया रारा-111 (नया रारा-130) के डिजाइन किमी 117.150 पर	0.415 किमी	4.15 किमी	ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दर का 60%

*व्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	चैनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी)
	किमी से	किमी तक		
1	127.924	128.267	किमी 128.096 पर मुख्य पुल (हस्देव नदी)	0.343
2	162.835	162.907	मुख्य पुल (अटेम नदी)	0.072
कुल				0.415

3. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाजा से बीस किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2019-20 के लिए 265.00 रु. (दो सौ पैंसठ रुपए मात्र) है और यह उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक वर्ष संशोधन के अध्वधीन है।

4. राजमार्ग खंड पर बहुल यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्

तालिका-4

भुगतान-योग्य घनराशि	अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान-योग्य फीस की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक महीना

5. फीस प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए फीस उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।

6. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के लिए उक्त नियमों के नियम 10 के उप-नियम 1क में विनिर्दिष्ट फीस के समतुल्य फीस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

7. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

8. फीस की दरें उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसरण में प्रयोक्ताओं के सूचनार्थ प्रदर्शित करनी होंगी।

9. यांत्रिक वाहनों से फीस की वास्तविक राशि उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी फीस की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

10. परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 515.64 करोड़ रु. है। चूंकि भूमि अधिग्रहण, सार्वजनिक जन सुविधाओं के अंतरण, पेड़ों को काटने आदि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है इसलिए पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यक्षीन है और अंतिम पूंजीगत लागत को पृथक् रूप से अधिसूचित किया जाएगा। प्राप्त प्रयोक्ता फीस के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा तथा पूंजीगत लागत की वसूली के पश्चात् उद्ग्राह्य फीस घटाकर दरों के 40% तक कर दी जाएगी और कथित नियमों के अनुसरण में वार्षिक रूप से संशोधित की जाएगी।

[फा. सं. आरडब्ल्यू/एनएच/आरओ/सीजी/2019-20/टोल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2019

S.O. 4645(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways² [number S.O. 381(E) dated 24th January 2019 issued under Section 5 of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956)], the Central Government has entrusted the stretch from Chainage km 82.500 to Chainage km 163.400 (Katghora

to Shrivnagar Section) Package – II of National Highway No. 111 (New National Highway No. 130) in the State of Chhattisgarh to the Chhattisgarh State PWD.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highway Fee (Determination of Rates and Collection) Rule, 2008 (herein referred to as the “rules”), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at 60% of base rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 78.281 km (for the use of two lane with paved shoulders) and at 100% of base rates for 1.50 km net road length (for the use of four Lane section) and for equivalent structure length at 60% of base rates (having length more than 60m) of 5.19 km (having length of 0.519 km) on the type of vehicle specified in column (1) of the Table 1 below of Katghora to Shrivnagar Section, Package – II of National Highway No. 111 (New National Highway No. 130) from design km 82.500 to km 163.400 (excluding bridge from chainage km 99.378 to km 99.482) in the State of Chhattisgarh and authorizes the National Highways Authority of India to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table-1	
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely:

Table-2		
Location of Fee Plaza (Chainage)	Length (in km) for which fee is payable	Rate at which fee is payable
At Design km. 117.150 of NH No. 111 (New NH No. 130) at village Chotiya, Korba District of Chhattisgarh	78.281 km (excluding length of structures (>60m))	60% of the base rates mentioned in Table-1 above
	1.50 km	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

Table-3			
Location of Fee Plaza (Chainage)	Length of Structure (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At Design km. 117.150 of NH No. 111 (New NH No. 130) at village Chotiya, Korba District of Chhattisgarh	0.415 [^]	4.15	60% of the base rates mentioned in Table-1 above

[^] The details are as under:-

	Chainage		Type of Structure	Length (in km)
	From Km	To Km		
1	127.924	128.267	Major Bridge at km 128.096 (Hasdeo River)	0.343
2	162.835	162.907	Major Bridge (Atem River)	0.072
Total				0.415

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance to twenty kilometers from the fee plaza is Rs. 265.00 (Rupees Two Hundred Sixty Five Only) for the year 2019-20 and is subject to revision every year as per the provision of the said rules.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:-

Table-4		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and one-half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment.
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.

9. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the National Highways Authority of India on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

10. The estimated capital cost of the project is Rupees 515.64 Crores. [The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately]. The National Highways Authority of India shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[File No: RW/NH/RO/CG/2019-20/Toll]

Priyank Bharti, Jt. Secy.